617

संख्या: 04 [illegible]/2001

Index

842

A.D.M.(E)/01/DZR

19/3

जिलाधिकारी
19 MAR 2001
देहरादून

प्रेषक,

[illegible],
[illegible],
[illegible] शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

भूमि व्यवस्थापन अनुभाग
(राजस्व विभाग)

देहरादून: दिनांक- 16 मार्च, 2001

विषय- देहरादून में इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट [illegible] की इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया की स्थापना हेतु [illegible] देहरादून तहसील विकासनगर के ग्राम [illegible] में [illegible] भूमि पट्टे पर दिया जाना।

99-2002
XII-A
25
617

महोदय,

उपर्युक्त [illegible]

[illegible]/[illegible](99-2000) दिनांक [illegible]-2001 [illegible]

कर निदेश हुआ है कि [illegible]

इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट [illegible] की [illegible]

की स्थापना हेतु विकासनगर तहसील के ग्राम [illegible]

की खसरा संख्या 572 रकबा 1.414 हेक्टेयर, [illegible]

587 रकबा 0.308 हेक्टेयर, 575 रकबा [illegible]

0.278 हेक्टेयर (10.56 [illegible]) जिसे [illegible]

अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम अंकित है, [illegible]

के शासनादेश संख्या [illegible]/16(1)/72-[illegible]

[illegible]

[illegible].9.97 में [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1,140/-

[illegible]

1. [illegible] भूमि का [illegible]
किया जायेगा [illegible]

2. [illegible] भूमि [illegible]
[illegible]
अधिकार पट्टेदार को [illegible] होगा ।

3. भूमि का उपयोग आवंटन की [illegible]
अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा [illegible]
निरस्त समझा जायेगा ।

4. [illegible] भूमि पट्टेदार को [illegible]
[illegible] सरकारी [illegible]
1/35§24§-एग-6 दिनांक 9 अक्टूबर 1987 [illegible]
के अन्तर्गत [illegible] 1985 [illegible]
[illegible] पट्टेदार [illegible]
के लिये इसे नवीनीकरण कराने का [illegible]
को नवीनीकरण के लगान बढ़ाने का [illegible]
के डेढ़ गुना से कम न होगा ।

5. [illegible] फिट [illegible]
पर संचालित करेंगी ।

6. [illegible] के [illegible] अधिकारी [illegible]
[illegible] का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

7. [illegible]
[illegible] STRUCTURE [illegible]
[illegible]
[illegible]
§STRUCTURE§ [illegible]

[illegible]

संख्या:   /टी.एफ./2001 प्रशासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ [illegible]
कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. [illegible]

2. श्री [illegible]
[illegible] ।

[illegible]
अवर सचिव

संख्या: 1576/राजस्व/2003

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

भूमि संसाधन शाखा(राजस्व)

देहरादून: दिनांक: 10 नवम्बर,03.

विषय: जनपद देहरादून परगना केन्द्रीयदून ग्राम गल्ववाड़ी में सहयोग केन्द्र के लिए 0.077 है0 भूमि आवंटन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-933/आ0सं0-03 दिनांक 28 जुलाई,03 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहयोग केन्द्र के लिए जनपद तहसील देहरादून परगना केन्द्रीयदून ग्राम गल्ववाड़ी के खसरा संख्या-1174 क्षेत्रफल 0.077 है0 भूमि को राजस्व अनुभाग-1(उत्तर प्रदेश शासन) के शासनादेश संख्या-558/16-(1)/73-रा0-1 दिनांक 9 मई,1984 एवं शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक 12 सितम्बर,1997 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना रू.1,92,500-00 (रू. एक लाख बयानवे हजार पांच सौ मात्र) एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी 2.90 पैसे के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया रू. 58/- (रू. अट्ठावन मात्र) नियत करके संचालक, सहयोग केन्द्र कार्यालय 5 हरिद्वार मार्ग,देहरादून को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति की गयी है ।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को ठेके/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा ।

(3) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन)वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

§4§ प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85§24§/रा-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा । सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1,1/2 गुना से कम न होगा ।

§5§ पट्टेदार एंव उसके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा,उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विधि द्वारा नियंत्रित होगा ।

§6§ प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार का न रह जाएगी तो भूमि निर्माण§ § सहित राजस्व विभाग को वापस हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा ।

§7§ यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो,अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो,तो भवन,स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जाएगी ।

§8§ आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 7 तक में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि का निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

2- कृपया उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

§ सोहन लाल §
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

§1§ मुख्य राजस्व आयुक्त,उत्तरांचल,देहरादून ।

§2§ आयुक्त,गढ़वाल मण्डल,पौड़ी ।

§3§ डा0आर0के0मजारी संचालक,सहयोग केन्द्र,कार्यालय 5-हरिद्वार मार्ग,देहरादून ।

§4§ गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

§ सोहन लाल §
अपर सचिव।

संख्या: 253 / 18(1)/2005

(54)

प्रेषक,

[illegible],
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 22- जुलाई, 05

विषय:-हिमालयीय आयुर्वेदिक शोध एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु ऋषिकेश के ग्राम फतेहपुर डांडा में कुल 4.047 है0 भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-146/12ए-118(2002-05) दिनांक 2 जून, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिमालयीय आयुर्वेदिक शोध एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558/16(1)/73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या-1655/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए जनपद देहरादून की तहसील ऋषिकेश के ग्राम फतेहपुर डांडा के खसरा नं0-248 मि0 रकबा 2.510 है0, खसरा नं0-247 मि0 रकबा 0.486 है0 एवं खसरा नं0-246 मि0 रकबा 1.051 है0 अर्थात कुल 4.047 है0 भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार

30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) पट्टेदार एंव उसके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा। उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विधि द्वारा नियंत्रित होगा।

(5) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(6) यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 1 से 6 तक में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्याः 400/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग — देहरादूनः दिनांकः 10 मई,2005

विषयः–ग्राम डांडा नूरीवाला के खसरा संख्या–69 के रकबा 2.476 है0 भूमि को हिमालयन स्कूल सोसायटी देहरादून के प्रबन्धन में दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–40/18(1)/2005 दिनांक 15 मार्च, 2005 के कम में एंव आपके पत्र संख्या–2968/12–ए–81(2002–05) दिनांक 2–4–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्राम डांडा नूरीवाला के खसरा संख्या–69 के रकबा 2.476 है0 भूमि, जो नदी की श्रेणी की है, को हिमालयन स्कूल हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन हिमालयन स्कूल सोसायटी के प्रबन्धन में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

2– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता जब राज्य सरकार को होगी, तो संस्था को उसे बिना शर्त वापस करना होगा।

3– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार संस्था को नहीं होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न रहने पर भूमि राजस्व विभाग को स्वतः वापस हो जाएगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नही होगा।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

...(2)

2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3– सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।

4– सचिव, हिमालयन स्कूल सोसायटी, 15–ए ,अमृतकौर रोड, देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

07/05/05

संख्याः ३६२ /16(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः ५ ~~जुलाई~~ अगस्त 2005

विषयः—डा0 सुशीला तिवारी, बी0एड0 कालेज के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–150/सात–रा0भू0अ0/2005 दिनांक 29 जून, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डा0 सुशीला तिवारी, बी0एड0 कालेज, सितारगंज को बी0एड0कालेज की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 के अन्तर्गत ग्राम दूसरी के खसरा नं0–117/1/2 रकबा 0.253 है0 एवं खसरा नं0–103 रकबा 0.506 है0 कुल रकबा 0.759 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रू0 3,79,500–00 (रु0 तीन लाख उन्नासी हजार पाँच सौ मात्र) एक मुश्त जमा करने एवं वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के सौ गुने के बराबर वार्षिक किराया रू0 374–00 नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा।

(3) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार

(2)

30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(5) पट्टेदार एवं उसके उत्तराधिकारियो को आवंटित भूमि मे वंशानुगत अधिकार होगा। उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विधि द्वारा नियंत्रित होगा।

(6) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(7) यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार मे सभी भारो से मुक्त निहित हो जायेगी।

(8) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 1 से 7 तक मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति मे प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग मे निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- कृपया उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- मण्डलायुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

प्रा: 583 /18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 07 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2005

विषयः–भारतीय एकता व संस्कृति दर्शन प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु जनपद देहरादून के ग्राम मांजरीग्रान्ट में कुल 1.620 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1486/डी0एल0आर0सी0 XII–19(2002–05) दिनांक 8 अगस्त, 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारतीय एकता व संस्कृति दर्शन प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु जनपद देहरादून की तहसील ऋषिकेश के ग्राम मांजरी ग्रान्ट के खाता संख्या–1219 के खसरा नम्बर–3741 मी रकबा 1.620 है0 भूमि को शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा0–1 दिनांक 9 मई, 1984 एंव शासनादेश सख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा0–1 दिनांक 12 सितम्बर, 1997 में शिथिलता प्रदान करते हुये 1/– रु0 नजराना जमा करने के अतिरिक्त रु0 800–00 वार्षिक लगान निर्धारित कर निम्नलिखित शर्तो के अधीन भारतीय एकता एंव विकास प्रतिष्ठान को भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिये किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03(तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधनों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

...(2)

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रहने पर भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

5– यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6– प्रश्नगत भूमि में स्थित हरे पेड़ों को काटने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

7– भारतीय एकता व संस्कृति दर्शन प्रतिष्ठान की शासी इकाई में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वांछनीय होगा तथा शासी इकाई की नियमावली भी राज्य सरकार की सहमति से बनाई जायेगी।

8– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 1 से 7 तक में हो किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– डा0 एल0एम0सिंघवी, बी–8 साऊथ एक्सटैन्शन पार्ट–II, नई दिल्ली।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

29/10/05

संख्या: 635/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2006

विषय:–सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन टेक्नोलॉजी को शिक्षण कार्य हेतु ग्राम बिशनपुर झरड़ा जनपद हरिद्वार में कुल 2.141 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी को शिक्षण कार्य हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1 (60) 93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम बिशनपुर झरड़ा परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार के खसरा नं0 202/1म क्षेत्रफल 0.456 है0, 202/2 क्षेत्रफल 0.456 है0, 203 /1 क्षेत्रफल 0.369 है0, 203 /2 क्षेत्रफल 0.491 है0 तथा 203 /3 क्षेत्रफल 0.369 है0 अर्थात कुल क्षेत्रफल 2.141है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रू0 12,84,600.00 (रूपया बारह लाख चौरासी हजार छः सौ मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान नई दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया रू0 1,048.00 (रूपया एक हजार अड़तालीस) नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

..........(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा न्यास का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मे निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– प्रबन्ध निदेशक, सीता देवी मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ईदगाह रोड़, ज्वालापुर, हरिद्वार।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या: 75 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादून: दिनांक: 29 जून, 2006

विषय:-इण्टरनेशनल थियेटर सोसायटी को तहसील देहरादून के ग्राम सलौनीवाला में नाट्य अकादमी की स्थापना हेतु पट्टे पर भूमि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-527/12ए-62-1(2005-08)दिनांक 06 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इण्टरनेशनल थियेटर सोसायटी को नाट्य अकादमी की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558/1-1(1)/73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या 1685/97 1 1(60)/93 रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम सलौनीवाला के खाता संख्या 34 के खसरा संख्या 116 रकबा 0.809 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रु0 13,75,300.00 (तेरह लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के तीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

..........(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 2[illegible] वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्षों के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो या संस्था का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) स्थापित किये जाने वाले नाट्य अकादमी में उत्तरांचल के स्थायी निवासियों हेतु 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 5 तक में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(8) उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तरांचल शासन।
2 मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।
2 आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3 अध्यक्ष, अकादमी ऑफ थियेटर आर्ट्स,230-राजपुर,देहरादून-248001
4 निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
5 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या-393 / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 12 जुलाई, 2006

विषय-गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज को ग्राम सभा थथौला की 10.791 है0 अकृषिक भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त-विषयक आपके पत्र संख्या-785 / भूमि व्यव0-भूमि आवंटन-06 दिनांक 16-06-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558 / 16(1) / 73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या-1695 / 97-1-1(60) / 93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम थथौला की संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल 10.791 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रू0 66,90,420-00 (रूपया छियासठ लाख,नब्बे हजार,चार सौ बीस मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने रू0 5,480-00 (पांच हजार चार सौ अस्सी मात्र) के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150 / 1 / 85(24) रा0 6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार

2

30-30 वर्ष के लिए इस नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा कम्पनी का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटित की गई भूमि में से जिस भूमि का वाद मा0 न्यायालयों में लम्बित है ऐसी भूमि मा0 न्यायालयों के आदेश के अधीन होगी।(subject to order of the courts)

(7) जो भूमि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाईप लाईल से आच्छादित है ऐसी भूमि को भारत सरकार द्वारा पाईप लाईन के लिये भूमि मे उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है। इस भूमि पर पाईप लाईन एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत निर्माण व खुदाई दण्डनीय अपराध है, जो कि प्रश्नगत कम्पनी पर भी लागू होगा।

(8)- औद्योगिक आस्थान के नियोजन के अनुरूप ही उद्योग स्थापित किया जायेगा।

(9)- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बायलॉज के आधार पर ही उद्योग का निर्माण किया जायेगा।

(10)- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं0 1 से 10 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

.....3

(13)- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा0लि0 देहरादून।
6- निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
7- श्री सुरेश त्यागी, डायरेक्टर, गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लि0, जी-192, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
8- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या: यू.ओ.-72- /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 12-जुलाई, 2006

विषय:-गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज को ग्राम सभा थथौला की 2.907 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-643/भूमि व्य0-भूमि आवंटन-06 दिनांक 12-05-2006 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-03/राजस्व/2003 दिनांक 13-2-2003 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558/16(1)/73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम थथौला की खसरा संख्या-103म रकबा 1.00 है0, खसरा संख्या-119म रकबा 0.154 है0, खसरा संख्या-120म रकबा 0.491 है0, खसरा संख्या-121म रकबा 0.788 है0 एवं खसरा संख्या-140म रकबा 0.474 है0 अर्थात कुल 2.907 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा कम्पनी का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) जो भूमि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाईप लाईल से आच्छादित है ऐसी भूमि को भारत सरकार द्वारा पाईप लाईन के लिये भूमि में उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है। इस भूमि पर पाईप लाईन एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत निर्माण व खुदाई दण्डनीय अपराध है, जो कि प्रश्नगत कम्पनी पर भी लागू होगा। इसके लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई0ओ0सी0 से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 6 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही

.........(3)

हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- अपर सचिव (डेरी), उत्तरांचल शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रा0लि0 देहरादून।
6- चीफ मैनेजर (पाईप लाईन डिवीजन), जी0-9 अलीयूवर जग मार्ग, अंधेरी वेस्ट मुम्बई।
7- टर्मिनल मैनेजर (इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0) वल्व डिपो रूड़की, लक्सर रोड़ लढौरा, रूड़की हरिद्वार।
8- निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
9- श्री सुरेश त्यागी, डायरेक्टर, गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लि0, जी-192, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
10- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्याः 844(1)/18(1)/2006

प्रेषक,

एन०एस० नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 19 जुलाई, 2007

विषयः–Independent Media Pvt. Ltd को India TV Institute की स्थापना हेतु ग्राम भोपालपानी ग्रान्ट में 5 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–308/12ए–आ0ले0 (2006–08) दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय Independent Media Pvt. Ltd को India TV Institute की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उत्तर प्रदेश शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–0–97 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम भोपालपानी ग्रान्ट के खसरा नं0–333ग रकबा 5 एकड़ भूमि को वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की गई है। यदि उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो, प्रश्नगत भूमि/भवन सहित सभी भारों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

..........(2)

3- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

4- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।

5- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा कम्पनी का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तें बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, Independent Media Pvt. Ltd 75 अमृत नगर, साउथ एक्सटेन्शन-1, नई दिल्ली।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या–11 मं0/18(1)/2006

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2008

विषय– अर्न्तराष्ट्रीय खिलाडी स्व0 श्री त्रिलोक सिंह बसेडा की पत्नी श्रीमती राधिका बसेड़ा को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2258/सात–23/2005–06 दिनांक 26 सितम्बर, 2007 जो कि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित एवं शासनादेश संख्या 11 मंत्री/18(1)/2006 दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि श्री बसेडा को पूर्व में एक भूखण्ड तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था किन्तु कब्जा नही दिया जा सका था। अतः श्री राज्यपाल महोदय अन्तराष्ट्रीय खिलाडी स्व0 श्री त्रिलोक सिंह बसेड़ा की पत्नी श्रीमती राधिका बसेड़ा, ग्राम भण्डारी गांव, तहसील डीडीहाट को ग्राम लन्द्यूडा, तहसील पिथौरागढ़ में स्थित खेत संख्या– 254 म0 10 मुट्ठी एवं खेत संख्या– 248 म0 6 मुट्ठी अर्थात् कुल 1 नाली भूमि के स्थान पर तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम भाटकोट के खाता संख्या–05 के खेत नम्बर 982 मध्ये 01 नाली भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। चूंकि वर्तमान में राज्य के खिलाड़ियों को भूमि आवंटन की कोई नीति नहीं है अतः इस भूमि आवंटन/अनुकम्पा को अन्यत्र उदाहरण स्वरूप नही लिया जायेगा, तथा न ही इसे भविष्य के लिये नजीर माना जायेगा।

2– उपरोक्त आवंटन इस शर्त के अधीन है कि प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की स्थिति में भूमि के उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति विधिवत प्राप्त कर ली जायेगी।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3– श्रीमती राधिका बसेड़ा पत्नी स्व0 श्री त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ग्राम भण्डारी गांव पोस्ट देवलथल जिला पिथौरागढ़।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या 295(2)/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2008

विषयः– श्रीमती पावादेवी पत्नी स्व0 श्री नरबहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आवासीय भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 13/सात–19/2006–07 दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती पावादेवी पत्नी स्व0 श्री नरबहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आवासीय प्रयोजन हेतु जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी के ग्राम भजनपुर में कुल 0.105 है0 भूमि राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0 शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 9 मई, 1997 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का

.... (2)

विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभा भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या- 1 से 5 तक में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- प्रमुख सचिव, गृह कारागार एवं सर्तकता, उत्तराखण्ड शासन।
3- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
5- श्रीमती पावादेवी पत्नी स्व0 श्री नरबहादुर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, द्वारा श्री देवेन्द्र गूरुंग चन्दनी (बनवसा) जनपद चम्पावत।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या 125 /18(1)/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

जारी 190
8.4.08

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग   देहरादूनः दिनांकः08 अप्रैल, 2008

विषयः– एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकासनगर परगना पछवादून के ग्राम कोल्हूपानी में कुल 5.099 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपे पत्र संख्या– 1687/12ए–89 (2005–08) दिनांक 1 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16 (1)/73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1 –1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तहसील विकासनगर परगना पछवादून, ग्राम कोल्हूपानी के खाता 307 के खसरा नं0 208घ रकबा 0.020 व 214क रकबा 4.488 नदी श्रेणी व खाता संख्या 300 के खसरा नम्बर 208ग रकबा 0.437 व 214घ रकबा 0.154 पुरानी परती की भूमि है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.099 है0 भूमि वर्तमान बाजार दर की दोगुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर बार्षिक किराया नियत कर एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को एयरफोर्स व नेवी के सेवकों के लिए आवासीय भवन बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

......(2)

[redacted]

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गेनाईजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/ विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियाँ) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

........(3)

2— सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— डायरेक्टर जनरल, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयर फोर्स स्टेशन, नई दिल्ली, 110003.
5— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

7/4/2008

संख्या 395 /18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कर्नल मोहित नौटियाल,
कर्नल एडजुटेन्ट फॉर कमान्डर
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन,
साउथ हटमेन्टस कश्मीर हाउस,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011

राजस्व विभाग देहरादून: दिनांक:09 मई, 2008

विषय:-कोटद्वार में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को 5 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या-345/8-एल0 ए0 सी0 - 2007 (कैम्प-2007), दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम काशीरामपुर पट्टी सुखरों, तहसील कोटद्वार के खतौनी खाता सं0-183 के खसरा सं0-325 मध्ये 05 एकड भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त नई दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, (AWHO) नई दिल्ली को आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के

-----(2)

प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 50/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्त ति गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा ौर पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का वेकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधि ार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार र न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को ापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गेनाईजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/ विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियॉं) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

.......(3)

3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– कर्नल मोहित नौटियाल, कर्नल एडजुटेन्ट फ र कमान्डर, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन,साउथ हटमेन्टस कश्मीर हाउस,राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Page Break

संख्या335CM/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मे0ज0 श्री मोहन सिंह,
मैनेजिंग डायरेक्टर
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन,
साउथ हटमेन्टस कश्मीर हाउस,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011

राजस्व विभाग | देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2008

विषयः– देहरादून जनपद में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को 16.42 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–170/12ए–1488 (2005–08) दिनांक 19 सितम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या– 258/16 (1)/73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1 –1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम कोल्हूपानी, परगना पछवादून तहसील विकासनगर के खाता 307 के खसरा नं0 208ग रकबा 0.4370 है0, खसरा नं0 208घ रकबा 0.020 है0, खसरा नं0 208ण रकबा 1.547 है0, खसरा नं0 214क रकबा 4.488 है0 एवं खसरा नं0 214घ रकबा 0.154 है0 अर्थात कुल रकबा 6.646 है0 (16.42 एकड़) भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त नई दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, (AWHO) नई दिल्ली को आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

......(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-- 150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गेनाईजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा;

(7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/ विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियाँ) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं0 1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2-- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2-- सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3-- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4-- जिलाधिकारी, देहरादून।

5- श्री ए0एन0 बहुगुणा, बिग्रे0 (अ0प्र0) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड, अजंली बिहार, अजबपुर कलां, देहरादून।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)

अनुसचिव।

संख्या 479 / 18(1) / 2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 10 जुलाई 2008

विषयः–श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार जनपद उत्तरकाशी को आवास हेतु भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1619–A / 11–8 / 2003–04 दिनांक 21 मई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार को आवासीय प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या– 258 / 16 (1) / 73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1 –1(60) / 93–रा–1 दिनांक 12–9–97 के अनुसार वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाली गयी भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके जनपद उत्तरकाशी के ग्राम डांग व लदाडी मध्ये खसरा नं0 501 अर्जित एवं रिक्त / अनुपयुक्त भूमि में से 10×8= 80 वर्ग मी0 भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि मे पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150 / 1 / 85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30

....(2)

वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(7) उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नही किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावो पर इसे उदाहरण स्वरूप नही लिया जा सकता है।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, मान्यता प्राप्त पत्रकार, एम0आई0जी0 फ्लैट, केदार मार्ग, उत्तरकाशी।
4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या 1134 / 18(1) / 2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 05 अगस्त, 2008

विषयः– दिया शिक्षा एवं विकास समिति देहरादून को स्टेट ऑफ आर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु 7.0650 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 443/ डी0एल0आर0सी0–08 दिनांक 3–7–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिया शिक्षा एवं विकास समिति देहरादून को स्टेट ऑफ आर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना 05 राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0 शासन) के शासनादेश संख्या– 558 / 16 (1) / 73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1 –1(60) / 93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम सेन्टल होप टाउन के खसरा–सं0 1353 मध्ये रकबा 7.0650 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना दर से निकाले गये नजराने तथा मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150 / 1 / 85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

..........(2)

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण **(Structure)** सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा संस्था का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने अथवा ऐसे अन्य कारणों से, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती है, प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2— उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— जिलाधिकारी, देहरादून।
4— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5— श्री योगेश आत्रे, सचिव, दिया शिक्षा एवं विकास समिति, 103, खेडा—खुर्द, नई दिल्ली—110082।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या/724/18(1)/08-7(42)/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 01 अगस्त,2008

विषय:-श्रीमती भगवती कपिल पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक हल्द्वानी जिला नैनीताल को बावत हल्द्वानी में रिक्त भू-खण्ड 30X40 फिट भूमि आवास हेतु पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- र-2459/11-आर0 के0 खाम दिनांक 07.06.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती भगवती कपिल पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक हल्द्वानी (नैनीताल) को आवासीय प्रयोजन हेतु हल्द्वानी में खेवट खाता संख्या-1 खाम इस्टेट-एक के खसरा संख्या-452 की राजकीय आस्थान की भूमि मध्ये 30X40 फिट अर्थात 111.48 वर्गमीटर भूमि राजस्व अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12 सितम्बर, 97 के अनुसार वर्तमान बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

3- नजराने की धनराशि इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त तत्काल अथवा अधिकतम 03 (तीन) माह के भीतर जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

4- भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

5- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर,1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा, तथा सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

6- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

7- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

8- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 07 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9- उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावों पर इसे उदाहरण स्वरूप नहीं लिया जा सकता है।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या /18(1)/08-7(42)/2008 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल,नैनीताल।
3- श्रीमती भगवती कपित पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक,हल्द्वानी,जनपद नैनीताल।
4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या 1065/18(2)/2008/523/06

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2008

विषयः- मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र (बालिका छात्रावास) जनपद हरिद्वार को कुल 0.410 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 9-06-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1, दिनांक 9-05-1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-09-1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम जगजीतपुर, तहसील हरिद्वार जनपद हरिद्वार में खसरा संख्या-638/1म0 में क्षेत्रफल 0.410 है0 भूमि मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र/(बालिका छात्रावास) को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दो गुने के अनुसार नजराना एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किये जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तारित करने का अधिकारी पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03(तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसें नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान, बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

......2

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति ... हो गया हो, तो भूमि/भवन सलि सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 5 में किसी भी शर्त का उलंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशो का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल,)
प्रमुख सचिव,

पृ0प0सं0- /समदिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

3- प्रबन्धक मातृ आँचल संस्कार केन्द्र 60 हरिधाम, हिल वाईपास रोड खडखडी हरिद्वार।

4- निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।

5- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या /18(1)/08-2(8)/2008

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 6-11-2008

विषयः-स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट नैताला उत्तरकाशी को पट्टे पर भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5008/21-7(2007-08) दिनांक 29.5.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट नैताला उत्तरकाशी को गरीब, अनाथ बच्चो, बृद्धों आदि की निशुल्क शिक्षा दीक्षा, चिकित्सा सहायता आदि जनहित के कार्यो हेतु ग्राम नैताला उत्तरकाशी में स्थित उत्तराखण्ड सरकार के नाम नॉन जेड0ए0 खतोनी खाता संख्या-45 में दर्ज खसरा नम्बर 4129 रकवा 0.043 हेक्टेयर भूमि शासनादेश संख्या-258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12 सितम्बर, 97 में निहित प्राविधानों एवं वर्तमान बाजार दर के दो गुने के बराबर एकमुश्त नजराना (PREMIUM) जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

3- नजराने की धनराशि इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त तत्काल अथवा अधिकतम 03 (तीन) माह के भीतर जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

4- भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

5- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर,1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा, तथा सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

Letter-Bhumi Patta

6- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

7- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

8- आवटिंत भूमि की लीज डीड कराने से पूर्व वन विभाग के सक्षम अधिकारी की भूमि अनापत्ति प्राप्त की जायेगी, एवं उसी खसरा नम्बर की भूमि आवंटित की जायेगी जो जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित की गई है।

9- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 08 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।

10- उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावों पर इसे उदाहरण स्वरूप नहीं लिया जा सकता है।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर. सचिव।

संख्या 1235/18(1)/08-2(8)/2008 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, गढवाल मण्डल,पौड़ी गढवाल।
3- स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट नैताला उत्तरकाशी।
4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– यू0ओ0–44 / 18(2) / 2008

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादून:दिनांक: 13 / 01 / 2009

विषय:–श्री आशीष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हरिद्वार को कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार हेतु ग्राम सजनपुर पीली परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में कुल 1.284 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1372 / भूमि व्यवस्था, दिनांक–26.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258 / 16(1) / 73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम सजनपुर पीली परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में श्री आशीष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हरिद्वार को कुष्ठ रोगियो की सेवा एवं उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार हेतु खसरा संख्या–70 के अनुसार कुल 1.284 है0 भूमि जो वर्तमान में अभिलेखों में बंजर श्रेणी–5(1) में अंकित है को वर्तमान बाजार मूल्य के 2 गुने के बराबर नजराना एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसकें लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85(24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1 / 2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति का विघटन हो गया हो तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत संस्था द्वारा निःशक्तजन अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड से अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(7) प्रश्नगत संस्था द्वारा शासन–प्रशासन के स्तर से संस्था में भेजे जाने वाले कुष्ठ रोगी या छात्र–छात्राओं का समायोजन संस्था में किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्था/न्यास विधिक रूप से गठित व संचालित हैं व संस्था के लेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

(9) उपरोक्त शर्त संख्या–7 व 8 का अनुपालन लीज निष्पादन के पूर्व कर लिया जायेगा।

(10)आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या– 1 से 9 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
OK प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 13 /संमदिनांकत/2009

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री आशीष अध्यक्ष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज, चण्डीघाट, हरिद्वार।
7. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

06/1/09

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
OK अनु सचिव।

संख्या–69 / 18(2) / 2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाकः 13 जनवरी, 2009

विषय–एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकास नगर के ग्राम झाझरा में सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को शासनादेश संख्या–794 / 18(1) / 2008 दिनांक–21 अगस्त, 2008 के द्वारा तहसील विकासनगर परगना पछवादून के ग्राम ईस्ट होप टाउन तथा ग्राम झाझरा में कुल 6 है0 पट्टे पर आवंटित भूमि पर **सम्पर्क मार्ग हेतु** आपके कार्यालय के प्रस्ताव / पत्र संख्या–79 / 12ए–09(2008–2011) डी0एल0आर0सी0 दिनांक–11 नवम्बर, 2008 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258 / 16(1) / 73–रा–1 दिनांक–09 मई, 1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार **तहसील विकासनगर, जिला देहरादून के ग्राम झाझरा के खसरा नं0–1166मि0 रकबा 0.4580 है0 भूमि** वर्तमान बाजार दर की दो गुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एकमुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पूर्व में पट्टे पर आवंटित भूमि पर **सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु** निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85(24)–रा0–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्टस एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1 / 2 गुना से कम नही होगा।

..........2

ANSARI LETTER.80

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी, तो भूमि निर्माण(Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गनाइजेशन(संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/विभाग की अनापत्ति(अनापत्तियॉं) प्राप्त कर ली जायेंगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के लिए ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सं0-69 (1)/तद्दिनाक/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

2-सचिव सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3-आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।

4-श्री ए0एम0 बहुगुणा, ब्रिगेडियर(अ0प्रा0), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, अंजली विहार, अजबपुर कला, देहरादून।

5-डायरेक्टर जनरल, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन, नई दिल्ली-110003

6-मेजर जनरल श्री मोहन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, साउथ हटमेन्ट, कश्मीर हाउस, राजा मार्ग नई दिल्ली।

7-निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।

8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

ANSARI LETTER.RI

संख्या– 2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 29/01/2009

विषय:–मै0 जे0पी0 रूडकी सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट को ग्राम नल्हेड़ी देहविरान भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार में सम्पर्क मार्ग व पार्किंग हेतु कुल 1.234 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6923/डी0एल0आर0सी0, दिनांक–29.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–198 तथा शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 में वर्णित प्राथमिकताओं में विचलन प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मै0 जे0पी0 रूडकी सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट को ग्राम नल्हेड़ी देहविरान भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार में सम्पर्क मार्ग व पार्किंग हेतु कुल 1.234 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के 2 गुने के बराबर नजराना एकमुश्त एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमत: 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..............2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो तो भूमि/भवन सी... राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) सम्बन्धित इकाई के लीज निष्पादन के पूर्व सम्बन्धित इकाई, ग्राम सम... सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के मध्य एक कमिटमैंट इस सम... आवश्यक होगा कि सम्बन्धित इकाई द्वारा ग्राम समाज के लिए सामु... कार्यो यथा-बच्चों के खेलने के पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल आदि जैस... ग्राम समाज के लोग प्रस्तावित करें, सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित इकाई ... किये जायेंगे।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो विन्दुसंख्या- 1 से 6... से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहि... राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय न... होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0- 24 /संमदिनांकत/2009

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. श्री नौशाद अली, आर0एम0(लाईजन) ग्राम नल्हेड़ी देहविरान पोस्ट नल्हेड़ा अन्नतपुर, रुडकी जिला हरिद्वार।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या–72/XVIII(II)/2009–2(80)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 27/फरवरी/2009

विषय:–दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2693/आ0ले0–08 दिनांक–29.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील सदर में मौजा मारखम ग्रान्ट, जिला देहरादून में खसरा संख्या–1466मि0 रकबा 0.38 एकड़ भूमि जो खाता संख्या–1520 नदी सौंग श्रेणी–6(1) में दर्ज कागजात है, को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स को वर्तमान बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या– 1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित

राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 72 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. श्री दिनेश जुयाल, रेजिडेन्ट एडिटर, एच0टी0 मीडिया लि0, पंजीकृत कार्यालय हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, 18–20 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या– 651/XVIII(II)/2009–2(53)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 6 मार्च, 2009

विषय:–आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली को भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली को पूर्व में भूमि आवंटन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–335सी0एम0/18(1)/2007 दिनांक–13 मई, 2008 को निरस्त करते हुए उक्त के स्थान पर आपके पत्र संख्या–139/12–ए–16(2008–11)/डी0एल0आर0सी0–08 दिनांक–03.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम शीशमबाडा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में खसरा संख्या–466–क रकबा 3.680 है0 एवं खसरा संख्या–462–ख रकबा 3.00 है0 **अर्थात कुल रकबा 6.680 है0** भूमि जो वर्तमान में अभिलेखों में नयी परती(ग्राम समाज) के रूप में दर्ज है एवं असिंचित है, को आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन नई दिल्ली को प्रचलित बाजार की दर की दो गुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाईजेशन नई दिल्ली को आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या– 1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2— उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0— 651 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. परियोजना निदेशक, आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, 56 चौराहा, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ कैन्ट।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या-71 /XVIII(II)/2009-06(18)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून:दिनांक: 29 मई, 2009

विषय:-दैनिक समाचार पत्र गढवाल पोस्ट को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2494/आ0ले0-08 दिनांक-29.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील सदर देहरादून में मौजा मारखम ग्रान्ट, जिला देहरादून में खसरा संख्या-1666मि0 रकबा 0.38 एकड़ (अर्थात 0.154 है0) भूमि जो खाता संख्या-1520 नदी सौंग श्रेणी-6(1) में दर्ज कागजात है, को दैनिक समाचार पत्र गढवाल पोस्ट को वर्तमान बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85 (24)-रा-6 दिनांक-09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

..............2

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या– 1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

__पृ०प०सं०– 71 /संमदिनांकित/2009__

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. श्री सतीश शर्मा, एडिटर, दैनिक समाचार पत्र गढवाल पोस्ट ।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

Ansari latter-360

संख्या–3317/XVIII(II)/2009–2(76)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2009

विषय–मातृ आंचल संस्कार केन्द्र(बालिका छात्रावास)को ग्राम जगजीतपुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार को कुल 0.410 है0 भूमि पट्टे पर आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1065/18(2)/2008,दिनांक23.09.08 एवं आपके पत्र संख्या –18/भूमि व्यवस्था –भू0क्रय, दिनांक 20.07.09 के कम में राज्यपाल महोदय, मातृ आंचल संस्कार केन्द्र (बालिका छात्रावास)हरिद्वार को ग्राम जगजीतपुर ,तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा संख्या 638/1मा0 में कुल 0.410 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक– 09 मई 1984 एवं तदकम में यथासंशोधित शासनादेश दिनांक –12.09.1997 में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार नजराने की धनराशि वर्तमान बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर को शिथिलीकरण प्रदान करते हुए सर्किल रेट की दो गुने की दर से निकाले गये मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा किये जाने पर पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1065/18(2)/2008, दिनांक–23.09.08 में उल्लिखित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे एवं उक्त शिथिलीकरण अपवाद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए दृष्टान्त नही माना जायेगा। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

........2

संख्या-3317(1)/XVIII(II)/2009 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. प्रबन्धक, मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र (बालिका छात्रावास) 60-हरिधाम, हिल बाईपास रोड खडखडी जिला हरिद्वार।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या-115/XVIII(II)/2009-18(35)/2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून:दिनांक: 11 जनवरी,2010

विषय:-सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज श्रीकोट गंगानाली हेतु गवर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट में कुल 0.326 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-3515/11-रीडर (2008-09), दिनांक-23 जुलाई 2009, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील श्रीनगर के ग्राम श्रीकोट गंगानाली में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज श्रीकोट गंगानाली को कुल 0.326 है0 भूमि वर्तमान बाजार दर की 2 गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके, जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85 (24)-रा-6 दिनांक-09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।
4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........2

5. यदि भूमि / भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि / भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी होगी ।
7. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या-1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0- 115 /संमदिनांकित/2010

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, श्रीकोट गंगानाली जिला पौडी गढवाल।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या–159/XVIII(II)/2010

प्रेषक,

अनूप वधावन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादून: 28 जनवरी,2010

विषय:–श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री किशनचन्द्र को ग्राम तल्ली, हल्द्वानी,जिला नैनीताल खसरा संख्या 411 कुल रकबा 0.009 हैक्टेयर भूमि पट्टे पर आबंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8/11–खाम/2007, दिनांक 7 अगस्त 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम तल्ली, हल्द्वानी जिला नैनीताल में खसरा संख्या 411रकबा 0.009 है0 भूमि श्रीमती उमा देवी, पत्नी स्व0 श्री किशनचन्द्र निवासी ग्राम तल्ली, हल्द्वानी (गोजाजाली बिचली) तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल को वर्तमान बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1.– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2 –.प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

3.– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमत: 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

4.–प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5.–यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6–.आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

7–उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 150 /संमदिनांकित/2009
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांउ मण्डल नैनीताल ।
3. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–1269/XVIII(II)/2010–1(143)/08

प्रेषक,

एस0 के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 21 जून,2010

विषय:–ग्राम शुक्लापुर ई0हो0टा0, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में हिमालयन इन्वायरमेन्टल आर्गनाईजेशन (हैस्को) को जल संसाधनो के चिन्हीकरण हेतु, आइसोटोप हाइड्रोलाजी की स्थापना हेतु कुल 0.117 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–2075/12 ए0–90(2005–2008) डी0एल0आर0सी0, दिनांक–8.9.2008 के सन्दर्भ मे, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, एवं पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत, ग्राम शुक्लापुर ई0हो0टा0, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में हिमालयन इन्वायरमेन्टल आर्गनाईजेशन (हैस्को) को जल संसाधनो के चिन्हीकरण हेतु, आइसोटोप हाइड्रोलाजी की स्थापना हेतु, कुल 0.117 है0 भूमि, प्रचलित बाजार दर के मूल्य की दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त, नई दरो पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर धनराशि पंजीकृत मूल्य के रूप में एक मुश्त जमा कराये जाने पर, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर के साथ संस्था द्वारा हस्ताक्षरित एम0 ओ0 यू0 के अनुरूप प्रयोगशाला तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए ही की जायगी, यदि भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर तथा संस्था द्वारा यह कार्य नही किया जाता है या किसी अन्य कारण से भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर इस योजना पर कार्य नही करता हैं, तब लीज निरस्त समझी जायगी।

2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987

में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–1269/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. श्री अनिल पी0 जोशी, हैस्को ग्राम शुक्लापुर, पो0 आ0 अम्बीवाला, वाया प्रेमनगर, जिला देहरादून।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या- 1600/XVIII(II)/2010-2(54)/2008

प्रेषक,

एस0के0 मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई,2010

विषयः-ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर, परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में नाबार्ड द्वारा परिचालित, सहभागिता कलस्टर विकास परियोजना के अन्तर्गत, सामुदायिक सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु 02 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1179/भूमि व्यवस्था, दिनांक-18.7.2008 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में नाबार्ड द्वारा परिचालित, सहभागिता कलस्टर विकास परियोजना के अन्तर्गत, सामुदायिक सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु 02 बीघा भूमि, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को आपके द्वारा की गयी संस्तुति एवं वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्त्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि

..........................2

अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा मे भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0प0संख्या-1600/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3- डा0 श्रीमती के0के0शर्मा, सचिव, महिला विकास संगठन, पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय 4/54 डी0ए0वी0 कालेज रोड देहरादून।
4- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
5- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

संख्या–1848/XVIII(II)/2010

प्रेषक,

एस.के. मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 6 अगस्त, 2010

विषय :– **श्री पूर्ण चन्द्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट कानपुर को पूर्व में आवासीय स्कूल हेतु पट्टे पर आवंटित भूमि के प्रयोजन परिवर्तन के संबंध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 537/18(1)/2007 दिनांक 17/12/2007, इस शासनादेश के कम में हस्ताक्षरित लीज डीड दिनांक 23/07/2008 एवं लीज भूमि के प्रयोजन परिवर्तन संबंधी शासनादेश दिनांक 1847/18(2)/2010 दिनांक 06/08/2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– श्री पूर्ण चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट के भूमि प्रयोजन परिवर्तन के विषय पर पुर्नविचार किया गया एवं प्रकियात्मक सुगमता की दृष्टि से उपरोक्त शासनादेश संख्या 1847 दिनांक 06/08/2010 को अतिकमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री पूर्ण चन्द्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 07/04/2010 (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक विचार करते हुए ट्रस्ट को आवासीय स्कूल (10+2) के स्थान पर "जागरण स्कूल आफ इन्टीग्रेटेड ला" के लिए उक्त भूमि का प्रयोजन परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. ला कालेज स्थापना के उपरांत ट्रस्ट को कुल उपलब्ध छात्र संख्या के 10 प्रतिशत सीट पर राज्य सरकार के विवेकानुसार शुल्क आदि की माफी सहित प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. चूंकि भूमि उपयोग के प्रयोजन में परिवर्तन हुआ है इसलिए ला कालेज की स्थापना के लिए तीन वर्ष की समयावधि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है।
3. यथा आवश्यकता पूरक पट्टाविलेख हस्ताक्षरित कर लिया जाएगा।

शासनादेश दिनांक 537/18(1)/2007 दिनांक 17/12/2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए श. ादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.के. मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी
4. श्री योगेन्द्र मोहन गुप्ता, अध्यक्ष, श्री पूर्ण चन्द्र स्मारक ट्रस्ट जागरण बिल्डिंग, 2-सर्वोदय नगर, कानुपर।
5. निदेशक, एन.आइ.सी., उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–1000/XVIII(II)/2010–2(11)/2008

प्रेषक,

डा0राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15–11–,2010

विषय–ग्राम कोल्हूपानी एवं ठाकुरपुर, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में, महिला विकास संगठन को रामबांस परियोजना हेतु,कमशः 01 है0 एवं 04 है0, कुल 5 है0 पट्टे पर आवंटित भूमि का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–236/डी0एल0आर0सी0–2010, दिनांक–15.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम कोल्हूपानी एवं ठाकुरपुर, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में, महिला विकास संगठन को रामबांस परियोजना हेतु,कमशः 01 है0 एवं 04 है0, कुल 5 है0 पट्टे पर आवंटित भूमि निम्नांकित शर्तो के अधीन सम्यक परीक्षण करते हुए, उक्त पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. प्रस्तावित भूमि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि, यह वन भूमि नही है।
2. संस्था द्वारा अब तक जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गयी थी,उन विगत वर्षो में उनके द्वारा, भूमि पर किये गये कार्यों का विवरण तैयार कर देख लिया जायेगा।
3. प्रस्तावित योजना से, अब तक स्थानीय निवासियों/राज्य को हुए लाभों का विवरण भी देख लिया जाय।

.....................2

4. प्रस्तावित योजना के अतिरिक्त, राज्य की किसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता, जो जनहित एवं राज्य हित मे हो, का भी समग्र परीक्षण कर लिया जाय।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या–1000 (1)/XVIII(II)/2010 एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3. डा0 श्रीमती के0के0शर्मा, सचिव महिला विकास संगठन पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय, 4/54, डी0ए0वी0 कालेज रोड देहरादून।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–2575/XVIII(II)/2010–3(90)/2010

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक:5-11- ,2010

विषय–ग्राम कोटखर्रा के अतिवृष्टि /बाढ़ से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों को ग्राम सभा शहदौरा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में 2.714 है0 भूमि में आवासीय पट्टे आबंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–237/सात–स0भू0अ0/2010 दिनांक–7.10.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम कोटखर्रा के अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों को, ग्राम सभा शहदौरा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में 2.714 है0 भूमि, जो खसरा संख्या–579 एवं 581 के अन्तर्गत है एवं वर्ग 5 (3) (ड) बंजर कृषि योग्य भूमि में दर्ज अभिलेख है, को राजस्व नियम संग्रह के प्रस्तर 368 के उपप्रस्तर (iv) के अधीन, आवासीय पट्टे आंबटित किये जाने हेतु, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. ग्राम कोटखर्रा में प्रभावित परिवारों की सूची पूर्व में ही तैयार की गयी होगी व उसे, उसी रूप में अन्तिम किया जायेगा तथा उसमें कोई अन्य परिवार/संख्या नही बढ़ाये जायेंगे अर्थात लाभार्थी परिवारो की संख्या सुनिश्चित व फ्रीज कर दी जायेगी।
2. यह निर्धारण करने का दायित्व, जिलाधिकारी का होगा कि प्रत्येक आंबटी परिवार, आपदा से ही प्रभावित हैं एवं इस आपदा के कारण उनके पास कोई भवन नही है।

..........2

3. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोई भी परिवार, उनके आपदा से असुरक्षित घरों का भविष्य में प्रयोग न करें।

4. ग्राम कोटखर्रा के सम्बन्धित क्षेत्रफल को, आवासीय स्थल के रूप में, असुरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु, शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

अतः इस संबंध में, तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या-2595(1)/XVIII(II)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुंमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–/18 /XVIII(II)/20 -3(67)/2009

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक:01 जनवरी,2011

विषय:–प्रबन्धक, तपोवन, कुटी उजेली (उत्तरकाशी) को जीप गैराज हेतु 0.002 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–592/21–14(2008–2009), दिनांक–4.11.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, प्रबन्धक, तपोवन, कुटी उजेली (उत्तरकाशी) को जीप गैराज हेतु 0.002 है0 भूमि, शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान बाजार दर की दो गुने के दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त, नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर, खसरा संख्या–1881 एवं 1883 की भूमि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा। जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि मे पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग व परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-1 से 6 में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

<u>पृ0प0सं0– 118 /संमदिनांकित/2010</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. स्वामी श्री दयानन्द, प्रबन्धक, तपोवन कुटी उजेली, उत्तरकाशी।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 864/XVIII(II)/2011

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः22 मार्च, 2011

विषय–Independent Media pvt.ltd को India TV Institute की स्थापना हेतु, ग्राम भोपाल पानी, तहसील एवं जिला देहरादून में पट्टे पर आवंटित, 5 एकड़ भूमि के उपयोग की अवधि का विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाचार **Independent Media pvt.ltd** के आवेदन पत्र दिनांक 18 मार्च, 2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–844(1)/18(1)/2006, दिनांक 19 जुलाई, 2007 के द्वारा इस संस्था को 5 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी। शासनादेश की शर्त संख्या–2 के क्रम में संस्था द्वारा, योजना पर निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 05 वर्ष का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

2– संस्था के अनुरोध के क्रम में, श्री राज्यपाल, इस निर्माण कार्य हेतु 02 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे एवं उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

2–

संख्या– ६९(1)/XVIII(II)/2011 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. निदेशक, समाचार Independent Media pvt.ltd, बी–39 ओखला, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1 नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या2321/XVIII(II)/2011-3(23)/2010

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक23 सितम्बर, 2011

विषय-श्री कान्ति प्रसाद जोशी, पुत्र स्व0 श्री गोबर्धन जोशी, ग्राम बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी को 0.008 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, भूमि के मूल्यांकन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-5586/आठ-08/2008-09, दिनांक-17.8.2011 एवं शासनादेश संख्या-735/XVIII(II)/2009-3(23)/2010, दिनांक-19.4.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, प्रश्नगत प्रकरण में, आपके द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप, उपरोक्त शासनादेश को अतिकमित करते हुए, श्री कान्ति प्रसाद जोशी, पुत्र स्व0 श्री गोबर्धन जोशी, ग्राम बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी को 0.008 है0 भूमि, शासनादेश संख्या-432/72/1243-1952-रा0अनु0-2, दिनांक-9.4.1973 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, वर्तमान सर्किल दरों के अनुसार, भूमि का मूल्य लेकर, पट्टे पर हस्तांतरित किये जाने के संबंध में, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक-19.4.2011 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

..........2

संख्या-2321(1)/XVIII(II)/2011 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि-1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. श्री कान्ति प्रसाद जोशी, पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन जोशी, ग्राम बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–735/XVIII(II)/2009–3(23)/2010

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 19-4-2011

विषय:–श्री कान्ती प्रसाद जोशी पुत्र स्व0 श्री गोबर्धन जोशी, ग्राम बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी को 0.008 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–8947/आठ–8(2009–2010), दिनांक–20.9.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, श्री कान्ती प्रसाद जोशी पुत्र स्व0 श्री गोबर्धन जोशी, ग्राम बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी को 0.008 है0 भूमि, शासनादेश संख्या–258/16(1) /73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/ 97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान बाजार दर की दो गुने के दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त, नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर, खसरा संख्या–1916 एवं 1918 के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........................2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0- 735 /संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौढ़ी।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री कान्ती प्रसाद जोशी, पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन जोशी, ग्राम बाडाहाट, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 133/XVIII(II)/2011–18(38)/2010

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 2 नवम्बर, 2011

विषय:–**श्री सोबन सिंह, पुत्र श्री गम्भीर सिंह, गोसीकुआं, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंहनगर को, खटीमा, सितारगंज में खसरा सं0–149 मध्ये 546.46 वर्गमीटर भूमि, पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–133/सात–स0भू0आ0/2010, दि0–4.9.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, श्री सोबन सिंह, पुत्र श्री गम्भीर सिंह, गोसीकुआं, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंहनगर को, खटीमा, सितारगंज में खसरा सं0–149 मध्ये 546.46 वर्गमीटर भूमि, शासनादेश संख्या–258/ 16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान प्रचलित बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गए भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त एवं उक्त भूमि के मालगुजारी के 20 गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

...........................2

(6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आवेदक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत आते हैं।

(8) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-1 से 7 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव,

पृ0प0सं0-793 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. श्री सोबन सिंह मेहता, निवासी, ग्राम गोसीकुआं, निकट आई0टी0आई0, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंहनगर
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–   /XVIII(II)/2011–3(50)/2009

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग–2   दिनांकः– 12 दिसम्बर, 2011

विषयः–कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत), खटीमा को ग्राम कुमराहा, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण हेतु कुल 0.253 है0 भूमि पट्टे पर निशुल्क आवंटित किये जाने के लिए एकमुश्त नजराना की धनराशि माफ किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को संबोधित आपके पत्र सं0–1181/सात–स0भू0आ0/2009 दि0–19.5.2009 एवं पत्र सं0–2307/ सात–स0भू0आ0/ 2011 दि0–15.9.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत), खटीमा को ग्राम कुमराहा, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण हेतु कुल 0.253 है0 भूमि, शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए नजराना की धनराशि रू0 10,12,000 (दस लाख बारह हजार रूपये) को माफ करते हुए केवल नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1.– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार

.....................2

को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0– 2512 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. सचिव, कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत) लोहियापुल, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर।
6. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– /XVIII(II)/2013–02(59)/2008

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 18 जनवरी, 2013

विषय– श्रीमती पावा देवी पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को आवासीय भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–791/सात–19/2006–07(भू0आ0)/2008 दिनांक–20.03.2008 के सन्दर्भ में शासनादेश सं0–295(2)/18(1)/2007 दिनांक–20.02.2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्रीमती पावा देवी, पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को आवासीय प्रयोजन हेतु जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी के ग्राम भजनपुर में उक्त शासनादेश में आवंटित कुल 0.105 है0 के स्थान पर 45 X 45 वर्ग फीट निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त शासनादेश संख्या–295(2)/18(1)/2007 दिनांक–20.02.2008 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाये। कृपया इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–175/XVIII(II)/2013 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गृह कारागार एवं सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. श्रीमती पावा देवी, पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा द्वारा देवेन्द्र गुरूंग, चंदनी, पोस्ट चंदनी, जनपद चम्पावत।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–547/XVIII(II)/2012–3(32)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 8 मई, 2012

विषय:–किसान सेवा सहकारी समिति, लि0, होरावाला को ग्राम रूद्रपुर परगना पछवादून तहसील विकास नगर में 0.030 है0 भूमि, पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक,आपके पत्र सं0–1874/12ए0–197(2008–2011)/डी0एल0 आर0सी0, दिनांक–8 मार्च 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, किसान सेवा सहकारी समिति, लि0, होरावाला को ग्राम रूद्रपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद,देहरादून में खसरा सं0–1640 मि0 रकबा 0.030 है0 भूमि, सहकारिता विभाग की सहमति/अनापत्ति के कम में, शासनादेश संख्या–258/ 16 (1)/73 –रा– 1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60) / 93 – रा –1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान प्रचलित बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गए भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा नियत करते हुए, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव,

पृ0प0सं0- 547 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4- प्रभारी अपर निबन्धक,सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
5-निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6-सचिव,किसान सेवा सहकारी समिति लि0 होरावाला जनपद-देहरादून ।
7-प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–   /XVIII(2)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग–2   देहरादूनः दिनांकः 14 जून, 2012

विषय–श्री पूर्णानन्द तिवारी धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय हेतु बाजपुर में पुराने अस्पताल (सफाखाना) की भूमि को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–5 सी0एम0/18(1)/2006 दि0–12.7.2006 के कम में आपके पत्र सं0–790/11–आर0के0खाम–2009 दि0–20.11.2009 एवं पत्र सं0–32/2010 दि0–9.12.2010 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दि0–12.7.2006 में उल्लिखित शर्त सं0–2 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भूमि का संबंधित संस्था के पक्ष में लीज डीड का निष्पादन कराते हुए कब्जा दिलाए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस संबंध में संस्था को प्रश्नगत प्रयोजन अग्रेत्तर 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किए जाने के अतिरिक्त उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–1135/संमदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. श्री राधेश्याम शर्मा, प्रबंधक न्यासी, श्री पूर्णानन्द तिवारी, जन हितकारी न्यास, बाजपुर, उधमसिंहनगर।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

116000

संख्या– /XVIII(II)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः29 नवम्बर, 2012

विषय– श्रीमती उमा देवी, पत्नी श्री किशनचन्द्र, ग्राम तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल को पट्टे पर आवंटित भूमि खेत नं0–411 कुल रकबा 0.009 है0 के स्थान पर खेत नं0–4/1 संशोधित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–377/11–आर0के0खाम/2012 दि0–22.8.2012 एवं शासनादेश सं0–150/XVIII(II)/2010 दि0–28.1.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दि0–28.1.2010 द्वारा श्रीमती उमा देवी, पत्नी श्री किशन चन्द, ग्राम तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल को नियमानुसार पट्टे पर आंवटित भूमि के खेत सं0–411 के स्थान पर खेत सं0–**4/1** कुल रकबा 0.009 है0 पढ़ा एवं समझा जाए एवं उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–2765/समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– श्रीमती उमा देवी, पत्नी श्री किशन चन्द्र, ग्राम तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल।
5– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या— /XVIII(II)/2013—18(38)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग—2 देहरादून:दिनांक: 7 जनवरी, 2013

विषय:—**श्री सोबन सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह, गोसीकुंआ तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर को खटीमा, सितारगंज में पट्टे पर आवंटित खसरा संख्या—149 मध्ये कुल 546.46 वर्गमीटर भूमि के निर्धारित नजराने में 85 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2747/सात—स0भू0आ0/2012 दिनांक—12.03.2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या—793/XVIII(II)/2011—18(38)/2010 दिनांक 08.11.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सोबन सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह, गोसीकुंआ, तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर को पट्टे पर आवंटित खसरा संख्या -149 मध्ये 546.46 वर्गमीटर भूमि के लिए शासनादेश दिनांक—09.05.1984 एवं 12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित बाजार दर की दो गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर निर्धारित नजराने की 85 प्रतिशत धनराशि माफ किये जाने एवं अवशेष 15 प्रतिशत नजराना एकमुश्त जमा कराये जाने एवं उक्त के अतिरिक्त नई दरों से निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त भूमि आवंटन विषयक शासनादेश दिनांक—08.11.2011 में आवंटन का प्रयोजन त्रुटिवश छूट गया है। अतः उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में आवंटन का उद्देश्य आवास एवं परिवार के भरण पोषण/स्वरोजगार हेतु पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3— चूंकि श्री सोबन सिंह की जनपद ऊधमसिंहनगर में कब्जे वाली भूमि (वर्ग—4 की भूमि) आई0टी0आई0 के लिए ली गयी थी, जो उनके भरण पोषण के काम आ रही थी एवं इसके अतिरिक्त ये सेना में शत्रु के आक्रमण से घायल हुये एक अपंग सेवानिवृत्त सैनिक हैं व इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतः इन परिस्थितियों मे पट्टे पर आवंटित भूमि के लिए निर्धारित नजराने में उपरोक्तानुसार छूट प्रदान की जा रही है। इसका अन्य मामलों में भविष्य मे कोई दृष्टान्त नहीं लिया जायेगा।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 137 /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– श्री सोबन सिंह मेहता, निवासी ग्राम गोसीकुंआ, निकट आई0टी0आई0 तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर।
5– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– /XVIII(II)/2013–02(59)/2008

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2013

विषय– **श्रीमती पावा देवी पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को आवासीय भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–791/सात–19/2006–07(भू0आ0)/2008 दिनांक–20.03.2008 के सन्दर्भ में शासनादेश सं0–295(2)/18(1)/2007 दिनांक–20.02.2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्रीमती पावा देवी, पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को आवासीय प्रयोजन हेतु जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी के ग्राम भजनपुर में उक्त शासनादेश में आवंटित कुल 0.105 है0 के स्थान पर 45 X 45 वर्ग फीट निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त शासनादेश संख्या–295(2)/18(1)/2007 दिनांक–20.02.2008 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाये। कृपया इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक [illegible]

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–175/XVIII(II)/2013 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गृह कारागार एवं सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. श्रीमती पावा देवी, पत्नी स्व0 श्री नर बहादुर राणा द्वारा देवेन्द्र गुरूंग, चंदनी, पोस्ट चंदनी, जनपद चम्पावत।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या यू0ओ0– /XVIII(II)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक: 8 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2013

विषय:–उत्तराखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालयों/चिकित्सालयों के निर्माण हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को रू0 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट पर पट्टे के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालयों/चिकित्सालयों के निर्माण हेतु ग्राम तरला नागल, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून तथा ग्राम जगतपुरा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 1.154 है0 तथा 05 एकड़ भूमि श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने विषयक क्रमशः शासनादेश संख्या–417/18(1)/2006 दिनांक–11.10.2006 एवं शासनादेश संख्या–1860/XVIII(II)/2010-3(71)/2010 दिनांक–15.11.2010 को अवक्रमित करते हुए तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11.10.2006 एवं 15.11.2010 द्वारा आवंटित भूमियों को सम्बन्धित शासनादेश संख्या 258/16(1)/73 राजस्व–1 दिनांक–09.05.1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280 रा0–1 दिनांक 12.09.1997 के प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को रू0 1.00 के वार्षिक लीज रेन्ट पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........2

5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 6 मे से, किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

दो अन्य प्रयोजनों के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भूमि दी गयी है। अतः इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग के स्तर से यथानिर्णय पृथक से शासनादेश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–U.D-34 / समदिनांकित / 2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमांऊ मण्डल, पौडी / नैनीताल।
5. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली।
6. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।